कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांक :– सी0एम0ओ0 / ई–निविदा विद्युत / 2026–27 / दिनांक 07.05.2026

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के अधीन आवासीय / नॉन आवासीय भवनों आदि में वित्तीय वर्ष2026–27के लिए विद्युतीकरण / विद्युत अनुरक्षण एवं राजकीय चिकित्सा इकाईयों में उपलब्ध विद्युत उपकरणों / चिकित्सा फर्नीचर के अनुरक्षण कार्यो (प्रदेश स्तर पर बायो मेडिकल इक्यूपमेंट मेन्टेनेस प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै0 साइरिक्स हैल्थ केयर लिमिटेड से आच्छादित को छोड़कर) हेतु अनुभवी निविदाताओं से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

तकनीकी प्रपत्र

क्र0सं0	**संस्था का नाम–**	**कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर**
1	विभाग द्वारा ई–निविदा अपलोड करने की तिथि व समय	दिनांक 07.05.2026 को सायं 5.00 बजे तक
2	निविदादाता द्वारा प्रपत्रों को अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 30.05.2026 सांय 4.00 बजे तक
3	तकनीकी ई–निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 01.06.2026 को अपरान्ह् 2.30 बजे
4	कार्य की अनुमानित धनराशि रू.	रू. 80.00 लाख मात्र।
5	धरोहर राशि (एफ.डी.आर. / बैंक ड्राफ्ट)	रू. 4.0 लाख जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पद पर देय होगी।
6	निविदा का मूल्य जी.एस.टी. सहित (बैंक ड्राफ्ट)	धनराशि रू. 12000 +GSTजो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलन्दशहर पद पर देय होगी (जो वापस देय नहीं होगी) / पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या– **182400VS00000015** आई0एफ0एस0सी0 कोड– **PUNB0182400**
7	ई–निविदा में सफलतापूर्वक चयनित होने के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पद पर बन्धक सिक्योरिटी	कार्य के मूल्य का 10 प्रतिशत (रूपया 8.0 लाख) बैंक सिक्योरिटी के रूप में एफ.डी.आर. जमा करना अनिवार्य होगा।
8	ई–निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक :– सी0एम0ओ0 / ई–निविदा विद्युत / 2026–27 दिनांक 07.05.2026

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उपरोक्त ई– निविदा को विभागीय साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बुलन्दशहर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

- निविदायें दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत आमंत्रित हैं, योजना के अनुरूप शर्ते एवं नियम निम्नवत हैं:–

1. जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड अर्ह होगी केवल उन्ही की वित्तीय बिड खोली जायेगी।
2. निविदादाता के पास विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी **"क" श्रेणी** अनुमोदित लाईसेन्स अपलोड करना अनिवार्य है।

3. निविदादाताओं को अपलोड की गयी वित्तीय बिड में कार्यो की सूची में दर्शायें गये कार्यो हेतु अपनी दरें निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करनी होंगी, दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
4. निविदादाता को आयकर पैन नं0 अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. चरित्र प्रमाण पत्र जो कि जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त व निविदा खोलने की दिनांक कोवैद्य हो, अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को कम से कम धनराशि रूपया 50.00 लाख (रूपया पचास लाख) रूपये का जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र जो कि निविदा खोलने की दिनांक को वैद्य हो, अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0, अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता की फर्म अगर पार्टनर्शिप में है तो पार्टनर्शिप डीड की छायाप्रति अथवा यदि पूर्व में प्रस्तुत पार्टनर्शिप डीड में कोई परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तित पार्टनर्शिप डीड की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये।
9. निविदादाता को राजकीय विभागों के भवनों में विद्युतीकरण व विद्युत अनुरक्षण कार्यो, अग्निशमन कार्यो में विगत तीन वर्षो में (विद्युत कार्यो में धनराशि रू. 40 लाख व अग्निशमन अनुरक्षण कार्यो में धनराशि रू. 10 लाख रूपये सहित) कुल धनराशि रू. 50.00 लाख तथा राजकीय चिकित्सा इकाईयों में उपलब्ध विद्युत उपकरणों/चिकित्सीय फर्नीचर के अनुरक्षण कार्यो का विगत तीन वर्षो में कुल 30 लाख का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र मैटेरियल एवं लेबर सहित किये गये जॉब वर्क के ही मान्य होंगे। केवल कार्य आदेश की प्रति तथा अराजकीय विभागों एवं मात्र मैटेरियल सम्पूर्ति व केवल लेबर कार्यो के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
10. ई–निविदा खोलने के समय से 1 घण्टा पूर्व निविदा मूल्य, धरोहर राशि एवं शपथ पत्र की मूल कॉपी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करनी होगी। मूल कॉपी जमा न होने की दशा में निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदादाता को विगत 03 वर्षो की आयकर रिटर्न शीट व सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैंलेस शीट विद यू.डी. आई.एन. नम्बर अपलोड करना अनिवार्य है।
12. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कार्य की समाप्ति पर आयकर की नियमानुसार कटौती कर ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जायेगा।
13. जी0एस0टी0 निविदादाता द्वारा दी गयी दरों पर अतिरिक्त देय होगी।
14. अधोहस्ताक्षरकर्ता टेण्डर समिति को एक या समस्त निविदायें बिना किसी कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. जिस निविदादाता की निविदायें समिति द्वारा अनुमोदित होगी उसे आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। यदि निविदादाता निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर निविदायें निरस्त कर दी जायेंगी।
16. फर्म/ठेकेदार को जिस दिनांक से कार्य करने का आदेश प्राप्त होगा उसी दिनांक से कार्य करना होगा तथा बिना कार्य आदेश के कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
17. चिकित्सालय भवनों में विद्युतीकरण/विद्युत अनुरक्षण एवं राजकीय चिकित्सा इकाईयों में उपलब्ध विद्युत उपकरणों/चिकित्सीय फर्नीचर के अनुरक्षण कार्यो के बिलों का नियमानुसार भुगतान विभागीय सहायक अभियन्ता (विद्युत)/टेक्नोलोजिस्ट के सत्यापन के उपरान्त ही किया जायेगा।
18. फर्म/ठेकेदार को दिये गये निश्चित समय पर विद्युतीकरण/विद्युत अनुरक्षण एवं चिकित्सीय उपकरणों/फर्नीचर का कार्य पूरा ना होने की दशा में रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना अदा करना होगा जो कि 15 दिन के उपरान्त बढ़ाया भी जा सकता है।
19. यदि फर्म/ठेकेदार आदेश में दिये गये समय के अन्दर कार्य करने में असमर्थ रहता है तो यह कार्य आवश्यकता पड़ने पर अन्य फर्म से करा लिया जायेगा, और दरों में कोई अन्तर आता है तो वह अधिकृत फर्म/ठेकेदार से जमानत राशि जब्त करके वसूला जायेगा।
20. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निविदादाता को बिल का रनिंग भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ आदि से बजट उपलब्ध होने के पश्चात ही सम्बन्धित निविदा के कार्य कराये जायेंगे।
22. निविदा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु एवं अग्रिम ई–निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

23. यदि निविदा के सम्बन्ध में वाद– विवाद अथवा मतभेद होता है तो ऐसी दशा में अद्योहस्ताक्षरी समिति का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी निविदादाताओं को मा0 न्यायालय में वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा।
24. निविदादाता द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभागों से सत्यापित कराया जा सकता है। फर्जी प्रमाण पत्र पाये जाने पर निविदादाता की फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
25. निविदादाता द्वारा प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 272 कैम्प/मु.अभि. (भवन)/2023, दिनांक 10.10.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या– 294 कैम्प/मु.अभि. (भवन)/2023, दिनांक 26.10.2023 तथा पत्र संख्या– 62 कैम्प/मु0अभि0 (भवन)/2026 दिनांक 09. 02.2026,पत्र संख्या– 179/सा0/भवन सैल/2026 दिनांक 25.03.2026 में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में अनुमोदित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित शैड्यूल ऑफ रेट्स (वि.या.) 2025 के अनुसार दरें उपलब्ध करानी होगी।यदि भविष्य में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित शैड्यूल ऑफ रेट्स (वि.या.) के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश निर्गत किये जाते है तो वह तत्काल प्रभाव से स्वतः लागू हो जाएंगे।
26. चिकित्सा इकाईयों में उपलब्ध विद्युत उपकरणों/चिकित्सीय फर्नीचर अनुरक्षण की दरें महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित दरों के सापेक्ष देनी होगी। यदि भविष्य में उक्त दरें परिवर्तित होती हैं तो परिवर्तित दरें ही मान्य होगी।
27. जनपद बुलन्दशहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत निविदादाता का कोई भी सगा सम्बन्धी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत ना होने के शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोड करनी होगी तथा मूल प्रति निविदा खोलने के 01 घण्टा पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करानी अनिवार्य होगी।
28. निविदादाता एवं उसकी फर्म/कम्पनी के प्रोपराईटर/पार्टनर/निदेशक को सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से कभी किसी विभाग द्वारा काली सूची में डाला गया है के शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोडकरनी होगी तथा मूल प्रति निविदा खोलने के 01 घण्टा पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करानी अनिवार्य होगी।
29. निविदादाता एवं उसकी फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर/निदेशक को किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है के शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोडकरनी होगी तथा मूल प्रति निविदा खोलने के 01 घण्टा पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करानी अनिवार्य होगी।
30. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड में संलग्न किये गये सभी अभिलेख की सत्यता के शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोड करनी होगी। कोई भी अभिलेख असत्य/झूठा पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा मूल प्रति निविदा के खोलने के 01 घण्टा पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करानी अनिवार्य होगी। बिन्दु संख्या– 27, 28, 29 व 30 से सम्बन्धित शर्तो का एक ही शपथ पत्र मान्य होगा।
31. निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये सभी अभिलेख स्वच्छ एवं पढ़ने योग्य होने चाहिये अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
32. निविदा सम्बन्धी विवरण नियम एवं शर्ते डाउनलोड/निविदायें में प्रतिभागिता करने हेतु वेबसाईट–www.etender.up.nic..in पर लॉगिन करें एवं किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार की सूचना वेबसाईट अथवा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

मेरे द्वारा ई– निविदा के नियम व शर्तो का सम्पूर्ण अध्ययन कर लिया गया है। मेरे द्वारा ऊपर दिये गये नियम व शर्तो के अनुसार कार्य किया जायेगा। मुझे उपरोक्त समस्त शर्ते एवं नियम मान्य होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

फर्म का पूरा नाम एवं पता ....

मो.न. ....

ई–मेल पता ....

Signature Not Verified
Digitally signed by SUNIL KUMAR DOHARE
Date: 2026.05.07 14:08:17 IST
Location: Uttar Pradesh-UP